

प्रेस नोट थाना खजनी दिनांक 02.02.2021

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में, अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन में मैं उपनिरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराही कर्मचारीगण हे0का0 संजय सिंह देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे मे चोरी गयी मोटरसायकिल के सम्बन्ध मे जो फोटो दिखा रहे थे वही व्यक्ति मोटर सायकिल लेकर देशी शराब के ठेका कटघर मे मौजूद है यदि जल्द किया जाए तो गिरफ्तारी व बरामदगी हो सकती है इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारी गणों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मुखबीर के साथ रवाना होकर देसी शराब की दुकान के पर पहुंचा तो मुखबीर ने इशारे से बताया कि यह वही है जिसके बारे मैंने आप को सूचना दिया है यह कहकर तरफ हट बढ़ गया हम पुलिस वाले एका एका पहुंच कर रूके तो हम पुलिस वालो को देख कर वह व्यक्ति बगल मे जाना चाहा कि हम पुलिस वाले घेर कर पकड़ लिये मोटर सायकिल का नम्बर देखा गया तो UP 43 J 3370 हीरो होण्डा ग्लैमर है जो fir मे दर्ज नम्बर से मेल खा रहा था उक्त मोटर सायकिल व भागने के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने अपना नाम रमेश मौर्या पुत्र विश्वनाथ मौर्या निवासी ग्राम कस्बा संग्रामपुर उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर बताया साहब मुझसे गलती हो गयी है, यह मोटर सायकिल चोरी की है विश्वास हो जाने पर तलाशी लेते हुए पुलिस हिरासत मे दिनांक 01.01.2021 समय करीब 20.45 बजे लिया गया थाना खजनी पर मु0अ0सं0- 762/2020 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमे अभियुक्त को धारा 379/411भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर मोटर साइकिल बरामद किया गया ।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

रमेश मौर्या पुत्र विश्वनाथ मौर्या निवासी ग्राम कस्बा संग्रामपुर उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर

बरामदगी

एक अदद मोटर सायकिल नं0- UP 43 J 3370 हीरो होण्डा ग्लैमर

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-762/2020 धारा 379,411 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

- 1.उ0नि0 जयप्रकाश यादव
- 2.हे0का0 संजय सिंह